फांसी की सज़ा बलात्कार के सामने समर्पण है

शुभा

बलात्कार की पक्षधर सरकार और विचारधारा फांसी की सज़ा लाकर समस्या को हल न करने कीअन्तिम और फाईनल घोषणा की जा रही है।राजसत्ता और नागरिकों के बीच संवैधानिक माध्यमिकता को कुचलकर न्याय-व्यवस्था को निष्प्राण करते हुए फांसी की सज़ा का प्रावधान कई तरह की आशंकाओं और डर को जगाने वाला है।निरंकुश हिंसक सत्ता हत्या को कई तरह से आसान और निरापद बनाने की कोशिश में है।बच्चियों के साथ बलात्कार को कम करने या ख़त्म करने के जो काम करने ज़रूरी हैं वे इस प्रकार हैं---

राजनीति को अपराधीऔर और अपराध-तन्त्र से अलग करना।

भ्रष्टाचार ख़त्म करना और राजनीति से अपराधिक निजी पूंजी को अलग करना।

जस्टिस वर्मा कमैटी की सिफारिशों को लागू करते हुए पुलिस रिफ़ार्म करना।

लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव ख़त्म करने के लिये सकारात्मक भेदभाव के सिद्धांत को अपनाकर इन्सैंटिव देते हुए संसाधनो तक उनकी पहुंच सुरक्षित करना।

बकरवाल समाज सहित सभी जनजातियों को जल, जंगल, जमीन के अधिकार देना।

2002 में हुए नरसंहार के अपराधियों को सज़ा देना और अल्पसंख्यकों को शिकार बनाने वाले हिन्दू धर्म का बहाना बनाकर आतंक फैलाने वाले संगठनों को प्रतिबंधित करना।

धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले सभी संगठन बलात्कार को "बदला लेने" का औजार बनाते हैं।

ग्रामीण ,भूमिहीन दलित स्त्री-पुरुष को संयुक्त पट्टा देकर भूमि -वितरण।भूमिहीन आबादियों पर लगातार बलात्कार होते हैं।

सभी को रोज़गार और कपड़ा, रोटी ,मकान व शिक्षा की गारंटी।ये अधिकार न होने कारण ग़रीब आबादियों के बीच से साधन-सम्पन्न अपराधी अपने रंगरूट भर्ती करते हैं,निराशा भी अपराधों को जन्म देती है।ग़रीब आबादी के बच्चों और औरतों का निरन्तर भीषण शोषण और यौन उत्पीड़न होता है।

श्रम कानूनों के अभाव में श्रमिक स्त्रियों और उनकी बच्चियों को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है। स्वतंत्र मीडिया के अभाव में बलात्कारियों और यौन शोषण करने वालों के हौसले बुलन्द रहते हैं। विधान सभा, संसद और कैबीनेट स्तर तक महिलाओं के प्रति अपराध, बलात्कार और हिंसा के आरोपी मौजूद हैं।बलात्कार के पक्ष में बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण बना हुआ है।

मौजूदा सरकार इनमें से कोई क़दम बलात्कार को ख़त्म करने की दिशा मे नहीं उठा सकती ।वह विपरीत दिशा में यानि बलात्कार के लिए उत्साहवर्धक परिस्थिति तैयार करने में लगी है। इस बात को छुपाने के लिए फांसी का कानून बना रही है।सरकार खुद सभी कानूनों का दुरुपयोग कर रही है इसलिये हमें इस क़ानून से डरना चाहिए।

विश्व-प्रसिद्ध रंगकर्मी तथा पाकिस्तान के अजोका थियेटर की संस्थापक मदीहा गौहर का 62 वर्ष की आयु में कैंसर से लाहौर में निधन

राजेश चंद्रा

अभिनेता, निर्देशक, नाटककार और महिला अधिकार कार्यकर्ता मदीहा गौहर को थियेटर के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनके जुनून और भारत-पाकिस्तान के बीच मैत्री एवं शांति को बढ़ावा देने के लिये किये गये उनके निरंतर अथक प्रयासों के लिये दोनों मुल्कों के लोगों द्वारा काफी सम्मान प्राप्त था। उन्होंने 1984 में अजोका थियेटर की स्थापना की और नियमित रूप से भारतीय कलाकारों के साथ सहयोग किया।

अजोका के नाटकों ने मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को हमेशा बेहद मज़बूती के साथ उठाया है, ख़ास तौर से महिला साक्षरता, ऑनर किलिंग, बालिकाओं के अधिकार, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन जैसे मुद्दों को लेकर उसके काम का एक व्यापक असर समाज पर पड़ा है, ऐसा माना जाता है। टोबा टेक सिंह, एक थी नानी, बुल्हा, लेटर टू अंकल सैम, मेरा रंग दे बसंती चोला, दारा, कौन है ये गुस्ताख़ और लो फिर बसंत आयी अजोका के सबसे यादगार नाटकों में से हैं। मदीहा के नाटकों में पश्चिमी रंग-पद्धतियों और युक्तियों के बजाय पाकिस्तान की 'भाण्ड' और 'नौटंकी' जैसी वाचिक परंपराओं के नाट्य-तत्वों का भरपूर उपयोग देखने में आता है। अजोका ने भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ओमान, ईरान, मिस्र, हांगकांग, अमेरिका, इंग्लैण्ड और नॉर्वे समेत पूरे विश्व में समसामयिक ज्वलंत विषयों पर केन्द्रित अपने नाटकों का प्रदर्शन किया है।

धार्मिक कट्टरपंथ और राजनीतिक दबावों से निरंतर मुठभेड़ करते हुए अजोका थियेटर का नेतृत्व और सामाजिक बदलाव के लिये प्रतिबद्ध थियटर करने के लिये नीदरलैण्ड का प्रतिष्ठित प्रिंस क्लॉस अवॉर्ड पाने वाली पहली पाकिस्तानी रंगकर्मी और कलाकार मदीहा गौहर की सराहना पूरी दुनिया में की जाती रही है। 2005 में पाकिस्तान से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उन्हें नामित भी किया गया था।

मदीहा का विवाह प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक शाहिद नदीम से हुआ था और वे जानी-मानी अभिनेता फरील गौहर की बड़ी बहन थीं। मदीहा अपने पीछे पति शाहिद नदीम और दो पुत्रों- सारंग और निर्वाण को छोड़ गयी हैं। रंगमंच को राजनीतिक सवालों से जोड़ने में और टीवी के लिये उनके योगदानों को कभी भूल पाना मुमकिन नहीं हो पायेगा। जनता की एक प्रतिबद्ध रंगकर्मी को सादर श्रद्धांजलि और सलाम!

क्या भारत के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का संबंध प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट से है ?

गिरीश मालवीय

भारत के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज क्यों नही किया जाना चाहिए था ? पूरी बेशर्मी के साथ चीफ जस्टिस के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया।

बहुत सी वजहें इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की उन्होंने बताई हैं लेकिन एक भी वजह ऐसी नहीं है जो उन 5 आरोपों में से एक को भी खारिज करती हैं जो महाभियोग प्रस्ताव पेश करते कांग्रेस ने दिए थे

अकेला एक 'प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट' वाला केस ही ऐसा केस है जिसके बारे में कोई कानून की अदना सी जानकारी रखने वाला शख्स भी यह कह देगा कि इसमें साफ दिख रहा है कि चीफ जस्टिस की भूमिका इस मामले में बेहद संदेहास्पद है और उन्हें यह कुर्सी नैतिकता के आधार पर ही छोड़ देना चाहिए।

इस मामले में सबसे बड़ी गलती मीडिया की है जिसने अपना रोल सही से नहीं निभाया। विपक्षी दलों ने जज लोया के मुद्दे के बजाय 'प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट' वाले मुद्दे को सही ढंग से उठाया होता तो देश का हर व्यक्ति महाभियोग के साथ ख ?ा होता, इस मामले को आसान भाषा मे समझने का प्रयास करते हैं।

एक रोमन उक्ति है 'नेमो जुडेक्स इन सुआ कॉजा' जिसका अर्थ है - कोई भी व्यक्ति अपने निजी उद्देश्यों के लिए न्यायाधीश नहीं हो सकता हैं यानी जिस मामले में किसी न्यायाधीश के हित और उद्देश्य निहित हों वहां उसे सुनवाई करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।

प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट वाला मामला बहुत सीधा है। केंद्र सरकार ने मानकों को पूरा न करने पर 46 मेडिकल कॉलेजों को आगे एडमिशन लेने के लिए बैन कर किया था।

प्रसाद ट्रस्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रसाद ट्रस्ट का कहना था कि, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके मेडिकल कॉलेज में छात्रों के दाखिले लेने पर गलत तरीके से रोक लगा रखीं है। जबकि कॉउंसिल ने दलील दी कि, निरीक्षण के दौरान कॉलेज की सुविधाएं मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं, लिहाजा कॉलेज को आवश्यक मंजूरी नहीं दी गई।. काउंसिल ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी। सरकार ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। केंद्र सरकार ने काउंसिल से कहा कि वो कॉलेज की

अब गेम थोड़ा पलटता है। प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के एक ट्रस्टी बी पी यादव उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आईएम कुद्दुसी से संपर्क साधते हैं। कुद्दुसी को सेट किया जाता है और उन्ही के कहने पर सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस लिया जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीनारायण शुक्ला यह केस सुनते हैं। हाईकोर्ट बैंक गारंटी भुनाने पर रोक लगा देती हैं और आदेश देती है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले होंगे।

तरफ़ से जमा बैंक गारंटी को इनकैश कर सकता है।

ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील की। दीपक मिश्रा, अमिताभ रॉय और एएम खानविलकर की बेंच ने केंद्र को फिर से विचार करने को कहा। बेंच ने कहा कि ट्रस्ट के साथ अन्याय हुआ है।

अब यहां गौर करिए कि उस वक्त दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस नही बने थे और 46 कॉलेजों में से सिर्फ प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के ही साथ अन्याय की बात कह रहे थे।

अब गेम थोड़ा पलटता है। प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के एक ट्रस्टी बी पी यादव उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आईएम कुद्दुसी से संपर्क साधते हैं। कुद्दुसी को सेट किया जाता है और उन्ही के कहने पर सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस लिया जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीनारायण शुक्ला यह केस सुनते हैं। हाईकोर्ट बैंक गारंटी भुनाने पर रोक लगा देती हैं और आदेश देती है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले होंगे।

इस फैसले से हड़कंप मच जाता है मेडिकल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करती है। दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ आश्चर्यजनक तेजी दिखाते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती हैं। दीपक मिश्रा की अदालत में फिर एक बार ट्रस्ट के फेवर में फैसला आता है।

लेकिन एक दो दिन के अंदर एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आता है। सीबीआई इस मामले एक एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर के तहत उड़ीसा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आई.एम. कुद्दूसी समेत 5 लोगो की गिरफ्तारी की जाती है। जिसमे दिल्ली की हाई प्रोफाइल पत्रकार भी शामिल हैं।

कुद्दूसी पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने न केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को कानूनी मदद मुहैया कराई बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामले में मनमाफिक फैसला दिलाने का वादा किया था। इस मामले में एक दलाल का भी नाम सामने आता है जिसका नाम विशम्भर अग्रवाल हैं। उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुद्दुसी और अग्रवाल की टेलीफोनिक बातचीत भी सीबीआई के हाथ लगती हैं। यह भी पता लगता है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर रिश्वत का लेनदेन हुआ है।

सीबीआई की गिरफ्तारी में यह बात सामने आती है कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है, वह कुछ जजों को दिया जाने वाला था, परंतु किन जजों को दिया जाने वाला था, इसका खुलासा नहीं हुआ।

अब जो इस मामले में सीबीआई ने जांच रिपोर्ट दी है वह ऐसे ऐसे खुलासे करती है कि जिससे आप इस भारतीय न्याय व्यवस्था पर अपना विश्वास खो सकते हैं।

जाँच रिपोर्ट में लिखा है कि 'सूत्रों ने यह जानकारी भी दी है कि बी. पी. यादव, आई. एम. कुदुस्सी और श्रीमती भावना पांडेय (पत्रकार) जस्टिस श्रीनारायण शुक्ला को दिए गए गैरकानूनी घूस को वापस दिलाने के लिए मना रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि जस्टिस श्रीनारायण शुक्ला ने आई. एम. कुदुस्सी को यह भरोसा दिलाया कि वे उन्हें मिली घूस का एक हिस्सा जल्दी ही लौटा देंगे और भी बहुत सी बातें है लेकिन जब सीबीआई के अधिकारियों ने 6 सितंबर को जस्टिस शुक्ला के खिलाफ एफआईआर करने की इजाजत के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के सामने बातचीत की ट्रांस्क्रिप्ट्स और अन्य कागजात पेश किए तो दीपक मिश्रा ने एफआईआर दर्ज करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया जबकि यदि वे इजाजत देते तो उन्हें रिश्वत के पैसे वापस करते रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जस्टिस शुक्ला को एक अन्य मामले में लम्बी छुट्टी पर भेज कर उस मामले में आंतरिक जांच का आदेश दे दिया लेकिन प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट वाले मामले में साफ बचा लिया।

सावरकर के अनुयायी संघियों की ओर से गॉधी पर आरोप लगता है कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, पढ़िये गांधी ने 23 मार्च, 1931 को वायसराय को एक निजी पत्र में क्या लिखा था-

1 दरियागंज, दिल्ली
23 मार्च, 1931
प्रिय मित्र,

आपको यह पत्र लिखना आपके प्रति क्रूरता करने-जैसा लगता है; पर शांति के हित में अंतिम अपील करना आवश्यक है। यद्यपि ??आपने मुझे साफ-साफ बता दिया था कि भगतसिंह और अन्य दो लोगों की मौत की सज़ा में कोई रियायत किए जाने की आशा नहीं है, फिर भी आपने मेरे शनिवार के निवेदन पर विचार करने को कहा था। डा सप्रू मुझसे कल मिले और उन्होंने मुझे बताया कि आप इस मामले से चिंतित हैं और आप कोई रास्ता निकालने का विचार कर रहे हैं। यदि इसपर पुनर्विचार करने की गुंजाइश हो, तो मैं आपका ध्यान निम्न बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनमत, वह सही हो या गलत, सज़ा में रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धांत दाँव पर न हो, तो लोकमत का मान करना हमारा कर्तव्य हो जाता है।

प्रस्तुत मामले में स्थिति ऐसी होती है। यदि सज़ा हल्की हो जाती है तो बहुत संभव है कि आंतरिक शांति की स्थापना में सहायता मिले। यदि मौत की सज़ा दी गई तो निःसंदेह शांति खतरे में पड़ जाएगी।

चूँकि आप शांति स्थापना के लिए मेरे प्रभाव को, जैसे भी वह है, उपयोगी समझते प्रतीत होते हैं। इसलिए अकारण ही मेरी स्थिति को भविष्य के लिए और ज्यादा कठिन न बनाइए। यूँ ही वह कुछ सरल नहीं है।

मौत की सज़ा पर अमल हो जाने के बाद वह कदम वापस नहीं लिया जा सकता। यदि आप सोचते हैं कि फ़ैसले में थोड़ी भी गुंजाइश है, तो मैं आपसे यह प्रार्थना करुंगा कि इस सज़ा को, जिसे फिर वापस लिया जा सकता, आगे और विचार करने के लिए स्थगित कर दें।

यदि मेरी उपस्थिति आवश्यक हो तो मैं आ सकता हूँ। यद्यपि मैं बोल नहीं सकूंगा, [महात्मा गांधी उस दिन मौन पर थे] पर मैं सुन सकता हूँ और जो-कुछ कहना चाहता हूँ, वह लिखकर बता सकूँगा।

दया कभी निष्फल नहीं जाती।

मैं हूँ,
आपका विश्वस्त मित्र
[अँग्रेज़ी की नकल]

यह पत्र 'The Collected Works of Mahatma Gandhi' के भाग 45 में संकलित है और इसे पृष्ठ 333-334 पर पढ़ा जा सकता है।

इस पत्र के उत्तर में वायसराय गांधी के निवेदन को स्वीकार नहीं कर पाए। वायसराय का उत्तर भी गाँधी वाङ्मय के पृष्ठ 354 पर देखा जा सकता है!

संघी हीरो सावरकर ने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा!